एफ. सं. 370142/11/2018-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2018

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9(1)(i) के अनुसार महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति से संबंधित आयकर नियम तैयार करना, टिप्पणियां और सुझाव के संबंध में।

दोहरा कराधान परिहार समझौतों के अनुच्छेद 7 के तहत कराधान नियमों के आवंटन के अनुसार, किसी उद्यम का व्यावसायिक लाभ उस देश में कर योग्य है जिसमें करदाता निवासी होता है। हालाँकि, यदि कोई उद्यम किसी अन्य देश में स्थित 'स्थायी प्रतिष्ठान' के माध्यम से अपना व्यवसाय करता है, तो ऐसा अन्य देश भी 'स्थायी प्रतिष्ठान' के कारण होने वाले व्यावसायिक लाभ पर कर लगा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, 'स्थायी प्रतिष्ठान' से तात्पर्य 'व्यवसाय का निश्चित स्थान' से है, जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित किया जाता है, बशर्ते कि व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की न हों और ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां किसी आश्रित एजेंट द्वारा संचालित न की जाएं।

2. लंबे समय तक, भौतिक उपस्थिति पर आधारित अन्तर्सम्बन्ध का उपयोग एक अनिवासी की नियमित आर्थिक निष्ठा के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता था। हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, डिजिटल माध्यम के माध्यम से दूरस्थ रूप से काम करने वाले नए व्यवसाय मॉडल सामने आए हैं। इन नए व्यवसाय मॉडलों के अंतर्गत, अनिवासी उद्यम उस देश में किसी भी भौतिक उपस्थिति के बिना दूसरे देश में व्यवसाय कर सकते हैं और ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्रोत देश में कराधान से बचा जा सकता है। इसलिए, भौतिक उपस्थिति पर आधारित मौजूदा अन्तर्सम्बन्ध नियम अब स्रोत देश में व्यावसायिक लाभ के कराधान के लिए अच्छा नहीं है। परिणामस्वरूप, स्रोत देश के अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त व्यावसायिक लाभ पर कर लगाने के अधिकार को अन्यायपूर्ण ढंग से एवं अनुचित रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 ने अधिनियम की धारा 9 (1) (i) के स्पष्टीकरण 2क के माध्यम से "व्यावसायिक संबंध" की परिभाषा के दायरे को बढ़ाकर भारत में गैर-निवासियों के कराधान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") में "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" (एसईपी) की अवधारणा पेश की। 'व्यावसायिक संबंध' की परिभाषा को यह प्रदान करने के लिए स्पष्ट किया गया था कि भारत में एक अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत में अनिवासी के "व्यावसायिक संबंध" का गठन करेगी और इस उद्देश्य के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" का अर्थ होगा -

(i) भारत में एक अनिवासी द्वारा किए गए किसी सेवा या संपत्ति के संबंध में कोई लेनदेन जिसमें भारत में डेटा या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रावधान शामिल है, यदि पिछले वर्ष के दौरान ऐसे लेनदेन या लेनदेन से उत्पन्न होने वाले भुगतानों का कुल योग निर्धारित राशि से अधिक है; या

(ii) भारत में डिजिटल माध्यमों से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का व्यवस्थित और निरंतर आग्रह करना या निर्धारित संख्या में उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करना।

3.1 यह भी प्रावधान किया गया है कि लेनदेन या गतिविधियाँ भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का गठन करेंगी, चाहे ऐसे लेन-देन या गतिविधियों के लिए समझौता भारत में किया गया हो या नहीं या अनिवासी का भारत में निवास या व्यवसाय का स्थान हो या वह भारत में सेवाएं प्रदान करता हो। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि केवल उतनी ही आय जो ऊपर निर्दिष्ट लेन-देन या गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाएगी।

4. तदनुसार, भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, निर्दिष्ट लेन-देन से उत्पन्न होने वाले भुगतानों की कुल राशि तथा उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिए सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

5. इस संबंध में, निम्नलिखित पर हितधारकों और आम जनता के सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं:

(i) भारत में एक अनिवासी द्वारा की गई भौतिक वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में लेन-देन की राजस्व सीमा;

(ii) डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं या संपत्ति के संबंध में लेनदेन की राजस्व सीमा, जिसमें भारत में किसी अनिवासी द्वारा किए गए डेटा या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का प्रावधान शामिल है;

(iii) उन 'उपयोगकर्ताओं' की संख्या के लिए सीमा जिनके साथ एक अनिवासी बातचीत में संलग्न होता है या डिजिटल माध्यमों के माध्यम से भारत में व्यवस्थित और निरंतर व्यावसायिक गतिविधियों का अनुरोध करता है।

6. टिप्पणियाँ और सुझाव 10 अगस्त, 2018 तक ईमेल पते ustpl3@nic.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं।

(संयम सुरेश जोशी)
डीसीआईटी (ओएसडी) (टीपीएल)-III
दूरभाष : 011-2309 5470
ईमेलः ustpl3@nic.in